दर्जा की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
11.10.19	**न्यायालय, अपर समाहर्त्ता–सह–आर्बिट्रेटर, धनबाद** **आर्बिट्रेशन केश नं0–32/2019** गोपाल साव –वनाम्– भारतीय राष्ट्रीय उच्च पथ प्रधिकरण एवं अन्य दावेदार के आवेदन के आलोक में निरसा अंचल अन्तर्गत मौजा–मेढ़ा, थाना नं0–251, खाता नं0–73, प्लॉट नं0–1242, रकवा–0.2347 एकड़ भूमि का अधिग्रहण राष्ट्रीय उच्च पथ–2 के 6 लेन चौड़ीकरण हेतु किये जाने के दौरान जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, धनबाद द्वारा अर्जित भूमि एवं उसपर निर्मित संरचनाओं के वास्तविक क्षेत्रफल के आधार पर उचित मुआवजा का भुगतान नहीं किये जाने के निर्णय से क्षुब्ध होकर मध्यस्थम विधि के तहत उचित मुआवजा का भुगतान हेतु यह वाद प्रारंभ किया गया। आवेदक के आवेदन पत्र तथा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत कर बताया गया कि भूमि का किस्म बाईद एवं गोड़ा–II है। जिसपर आवेदक खेती करते हुए शांति पूर्वक दखल–कब्जा है। सम्पूर्ण भूखण्ड चारो तरफ से पक्का चाहरदिवारी से घिरा हुआ है। अजिर्त भूमि पर मकान तथा दुकान भी है, जो 12,00,000 (बारह लाख) रू0 ही भुगतान किया गया है। पंचाट में दिया गया मूल्यांकन दर मान्य नहीं है। आवेदक द्वारा वर्णित भूमि का राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा–39 (5) के अन्तर्गत उचित मूल्यांकन कर तथा इसके पंचाट में सुधार कर उचित मुआवजा राशि भुगतान करने का अनुरोध किया गया है। इस कार्यालय का पत्रांक–1918/रा0, दिनांक–13.06.2019 के द्वारा प्रस्तुत पक्ष के आलोक में अंचल अधिकारी, निरसा से जॉच कराया गया। जॉचोपरान्त अपने पत्रांक–695, दिनांक–01.07.19 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि :– 1.प्रश्नगत् भूमि आवासीय मकान–मय सहन है। 2.भूमि व्यवसायिक में उपयोग नहीं किया जाता है। 3.भूमि का वर्त्तमान स्थिति मकान–मय है। 4.अर्जित भूमि का भुगतान बहुत कम दर पर मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है, जबकि वर्त्तमान बाजार दर पर मुआवजा राशि भुगतान किया जाना चाहिए–हाँ। NHAI के प्राधिकृत अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर लिखित रूप से वाद को Not Maintainable बताकर अस्वीकृत/निरस्त करने का अनुरोध किया गया है तथा अर्जित भूमि/संरचना का मुआवजा राशि नियमानुसार गणना कर सही भुगतान किया गया है। अतः पक्षों को सुनने एवं कागजातों के अवलोकनोपरान्त मैं पाता हूँ कि वास्तविकता की जाँच आवश्यक है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी/NHAI वास्ताविकता की जाँच करते हुए निर्धारित दर पर अर्जित भूमि एवं उसपर अवस्थित संरचनाओं का पुर्नमूल्यांकन कर मुआवजा राशि यदि आवेदक को देय हो तो नियमानुसार भुगतान करना सुनिश्चित करें। तदनुसार वाद की अग्रेत्तर कार्रवाई समाप्त की जाती है। ह० 11/10/19 अपर समाहर्त्ता –सह– आर्बिट्रेटर धनबाद। लेखापित एवं संशोधित। ह० 11/10/19 अपर समाहर्त्ता –सह– आर्बिट्रेटर धनबाद।	